न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 73/2012

1– श्री गोरधनसिंह पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जी आयु 83 साल

2– श्री रघुवीरसिंह पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जी आयु 76 साल

3– श्री भोपालसिंह पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जी आयु 73 साल

समस्त जाति राजपूत निवासी गांव मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

————वादीगण

ब ना म

1– श्री गोमा पुत्र हेमा जी जाति रावत आयु बालिग निवासी सहलातो का बाडिया मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

2– मिठू पुत्र देवी जाति रावत आयु बालिग निवासी सहलातो का बाडिया मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0,

3– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार मसूदा

———प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 28.2-2018

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा मसूदा पटवार क्षैत्र मसूदा तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 2871 रकबा 03–13–00, 2872 रकबा 02–10–00 भूमि स्थित है, उक्त भूमियो के खातेदार काश्तकार वादीगण अपने पूर्वजो के समय से निरन्तर बिना किसी बाधा व रूकावट के चले आ रहे है। उक्त विवादित भूमियो का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई संबंध व सरोकार नही है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी वादग्रस्त आराजी से लगते हुये है, इस कारण से वादीगण के कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी को अपनी आराजी में मिलाकर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। तथा सदैव झगडा फिसाद करने के लिये आमादा रहता है। वादीगण ने बरसात होने पर दिनांक 22.7.2012 को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी की साफ सफाई कर खेती रकना शुरू किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने साथ दो तीन व्यक्तियो के सहयोग से वादीगण द्धारा करवाये जा रहे काश्त में बाधा उत्पन्न करने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक सोची समझी साजिश के तहत वादीगण के आधिपत्य वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने व अपनी आराजी मे मिलाने की कोशिश की तथा ऐलानिया धमकी दी है, कि चाहे खुनखचर हो जाये वे मोका देखकर वादग्रस्त आराजीयात को अपनी आराजीयात में मिलाकर जबरन कब्जा करके रहेंगे व वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर काश्त नही करने देगे अतः वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की वादग्रस्त आराजी में अथवा उसके किसी भी हक हिस्से में अपनी आराजी में मिलाने व जरबन कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नही है, तथा वादीगण की भूमियो में अपनी जमीन नही मिलावे तथा वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी भी तरह की दखलन्दाजी न करे खर्चा वाद दिलाया जावे।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सम्मन तामील के पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नही करने के कारण जवाबदावे का हक बंद किया गया। प्रकरण में साक्ष्य तलब की गई।

प्रकरण साक्ष्य वादी में वादी रघुवीरसिंह पुत्र रामचन्द्र जी निवासी मसूदा व भोपालसिंह पुत्र रामचन्द्र जी निवासी मसूदा का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत कर वाद में वर्णित कथनो को दोहराया गया।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुये वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

..............लगातार

राजस्व वाद संख्या 73 सन् 2012

श्री गोरधनसिंह बनाम श्री गोमा व अन्य

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि वादीगण विवादित भूमियो के खातेदार काश्तकार है, तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के अनुसार विवादित भूमियो के वादीगण खातेदार काश्तकार होना पाये जाते है, तथा गिरदावरी संवत 2067 से 2068 के अनुसार विवादित भूमियो पर वादीगण द्वारा काश्त किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य जाने से स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्वीकार किया जाकर जरिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, मौजा मसूदा पटवार क्षैत्र मसूदा तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 2871 रकबा 03–13–00, 2872 रकबा 02–10–00 भूमियां जो वादीगण की खातेदारी में चली आ रही है, उससे उन्हें बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त भूमियो पर काश्त करने से वादीगण को नही रोके। तथा वादीगण के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे उपयोग व उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/2/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी मसूदा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 12:13:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: